न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
49 / 18	06.04.2018	21.06.2019

1. बनवारी लाल पुत्र श्री झूंथा (दाताराम) उम्र करीब 65 साल जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:प्रार्थी / वादी

बनाम

1. विजय पुत्र रामसिंह
2. रामसिंह पुत्र नन्दलाल कोम सुनार निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–अप्रार्थीगन / असल प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
1. श्री राजकुमार अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सीतल प्रसाद चौधरी अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0
एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 दफा 151 जा0दी0

प्रार्थी ने मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 दफा 151 जा0दी0 का पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है हाल आराजी ख0 सं0 98 / 550 रकबा 0.09 है0 एवं ख0 स0 98 वाके ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है कि जो आगे। वाद में विवादित आराजीयात के नाम से संबोधित की जावेगी वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी हाल संवत 2069–72 एवं नकल नक्शा ट्रैस ग्राम ईकरोटिया लफे दावा हाजा है। हाल आराजी ख0 स0 98 / 550 रकबा 0.09 है0 मिन वादी व तर0 प्रति0 की सामलाती कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है कि राजस्व रिकार्ड में मिन वादी व तर0 प्रति0 के नाम का अमल दरामद हो रहा है। तथा उक्त आराजी से लगते हुए तरफ पूर्व में डोल में डोल लगते हुए ख0 स0 98 है जो गेर मुमकिन रास्ता है। प्रतिवादीगण जो कि चालाक एवं मुठ मर्द लडाका किस्म के आदमी है जो कानुन कायदे की कतई परवाह नही करते है। कानुन कायदे की परवाह नही करते है एवं जबरन लठ के बल पर मिन वादी व तर0 प्रति0 के ख0 सं0 98 / 550 से लगते हुए गेर मु0 रास्ता आम में नींव आदि खोद कर निर्माण कार्य करने हेतु एक राय एक मशविरा बना कर दिनांक 05.0.2018 को आये और मिन वादी व तर0 प्रति0 की आराजी से लगती हुई डोल रास्त आम मे नींव खोदना चालु कर दिया। हमारे द्वारा मना करने पर अमादा फिसाद हुये। रोला सुन कर आस पास से काफी आदमी आ गये जिस पर बमुश्किल वाका टला इसके बाद भी असल प्रतिवादीगण जाते जाते ऐलानिया तोर पर धमकी देकर गये कि हम रास्ता आम में नींव खोद कर निर्माण कर तुम्हारे खेत में आवागमन का रास्ता को बन्द करेंगे, मिन वादी व तर0 प्रति0 की आराजी में आवागमन हेतु मात्र यही एक रास्ता आम है इसके अलावा अन्य कोई रास्त नही है। यदि असल प्रति0 अपने बेजा मन्सूबो में कामयाब हो गये तो मिन वादी व तर0 प्रति0 को अपूर्तिनिय क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन बहक वादी व

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

तर0 प्रति0 ही है इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादी व तर0 प्रति0 असल प्रतिवादीगन को जरिये हुक्म ईस्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगन/असल प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईस्तनाई चन्दरोजा से इस अमर से पाबन्द किया जावे कि आराजी हाल ख0 स0 98/550 रकबा 0.09 है0 की डोल से लगते हुए ख0स0 98 गेर मु0 रास्ता वाके मोजा ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में कोई नींव आदि खोद कर निर्माण कार्य ना करे, मिन वादी व तर0 प्रति0 मो गेर मु0 रास्ता ख0 सं0 98 के सुखाधिकार आवागमन में निर्माण आदि कर किसी प्रकार से कोई बाधा रूकावट आदि पेदा ना करे, मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि अर्जी प्रार्थना पत्र का जिमन नं0–3 में दर्ज आराजी खसरा नंबर 98/550 रकबा 0.09 है0 एवं खसरा नम्बर 98 जहॉ तक ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम में स्थित होने का प्रश्न हैं, ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो सकता है। किन्तु मौके पर ऐसी कोई स्थिति उक्त खसरा नंबरान की नहीं है। नक्शा ट्रेस वो जमाबन्दी में खिलाफ मौका वो खिलाफ कानून कोई इन्द्राज हो तो भी वादी को कोई राईट टू श्यू नहीं है। वादी ने बिना वजह विवादित आराजी होना दर्ज किया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 98/550 वादी वो तर0 प्रतिवादी का राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज हो। जहॉ तक रास्ता आम वो खसरा नंबर 98/550 का प्रश्न हैं, दोनों के दरमियांन आबादी भूमि में प्रतिवादी नंबर 1 व दो की कदीमी जायदाद पक्के रिहायशी बने हुवे है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 व 2 अपने परिवार सहित काफी लम्बे अर्से/सैकडों वर्ष पूर्व मकान बनाकर रिहायश किये है। जो रिहायश पीढी दर पीढ़ी बरकरार है। वादी ने खसरा नंबर 98/550 की पूर्वी डोल से लगता हुवा रास्ता गलत दर्ज जायदाद मकानात रिहायशी प्रतिवादीगण मौजूद है। ख0 नं0 98/550 के तरफ पूर्व को कोई रास्ता का वजूद नहीं हैं, बल्कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 की रिहायशी जायदाद पक्के मकानात सैकडों वर्ष पूर्व से आबादी में बने हुवे है। उक्त मकानात के तरफ पूर्व को रास्ता सड़क आम जो बीबीरानी से जौडिया को एवं गांव ईकरोटिया के अन्दर जाता है, मौजूद हैं। वादी की रिहायशी जायदाद का मौके का नक्शा कशीदशुदा जवाब दावा के साथ प्रस्तुत है। दरअसल हाल ही में बीबीरानी से जौडिया को जाने वाली सड़क आम रास्ता, जिसे गौरवपथ के नाम से पुनः सी.सी. रोड के रूप में निर्मित किया गया जो करीब 40 फुट चौडा है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने अपनी रिहायशी जायदाद में से पुरानी सड़क से लगता हुवा करीब 12 फुट भूमि देकर अथवा छोडकर गौरपथ सी0सी0 रोड का निर्माण कराया, जो निर्माण पी0डब्लू0डी0 कोटकासिम संस्था द्वारा प्रधान मंत्री गौरपथ योजना के तहत मेजरमैन्ट बनाकर ठेकेदार के माध्यम से सन् 2018 में निर्माण कराया गया, जो रास्ता आज भी उसी स्थिति में मौजूद है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के रिहायशी मकानात जायदाद को सैकडो वर्षो पूर्व से निर्मितशुदा आबादी में है। जिसके सम्बन्ध में कभी कोई उज्र तथाकथित वादी ने उठाया। इतना ही नहीं अपितु जब गौरपथ का निर्माण किया गया , तब भी ऐसा कोई उज्र वादी द्वारा नहीं उठाया गया। अब चूंकि वादी के दिल वो दिमाग में प्रतिवादी सं0 1 व 2 की जायदाद को लेकर बद्धयान्ति आ गई एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को अल्पसंख्यक समझकर एवं वादी जो बहुसंख्यक हैं, के द्वारा मनघडन्त, बनावटी, मिथ्या वो गलत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो वाद भी गैर मुमकिन रास्ता की बाबत का वो पाबन्द कराने का किया है। जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और ना ही न्यायालय श्रीमान के श्रवणयोग्य है एवं विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी सूरत में मौजूदा स्वरूप में प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण हरसूरत में काबिल खारिज है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अर्जी प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 3 जिस कदर दर्ज किया गया है, कतैई गलत हैं, स्वीकार नहीं है। वादी ने अपने प्रा0पत्र में असल प्रतिवादीगण को चालाक, मुठमर्द वो लडाका किस्म का होना वो कानून कायदों की परवाह नहीं करने वाला कतैई गलत दर्ज किया है। साथ ही गैरमुमकिन रास्ता में नींव खोदने, निर्माण करने का मशवरा बनाने एवं दिनांक 05.0.2018 को ऐसा करने बाबत कतैई मनघडन्त, बनावटी, मिथ्या वो गलत दर्ज किया है। चूंकि रास्ता में तो सीसी रोड गौरवपथ का निर्माण पहले ही सम्पन्न हो चुका है। जो मौके पर मौजूद है तथा रास्ता निर्मित शुदा से अलहेदा प्रतिवादीगण के रिहायशी मकानात है। ऐसी सूरत में मना करने वो आमादा, फिसाद होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वादी ने वादपत्र के जिमन नं0 3 में जो तथ्य वो ईबारत दर्ज की हैं, वो सरासर मनघडन्त, बनावटी, मिथ्या वो गलत हैं। जहाँ तक धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 का प्रश्न हैं वो अवैद्य बेदखली के विरूद्ध व्यादेश का हैं। चूंकि जैसा कि वादी वाद पत्र में दर्ज करके आया हैं कि गैर मुमकिन आम रास्ता में नींव खोदकर निर्माण करने की धमकी दी हैं वो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 में किये गये प्रावधानों के तहत नहीं आता हैं। चूंकि किसी खातेदार की भूमि पर कोई आक्रमण नहीं है और ना कोई आक्रमण की धमकी है। ऐसी स्थिति में धारा 188 राज0 काश्तकारी अधि0 में वाद दायर करने का कोई अधिकार वादी को नहीं है एवं राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 92 (ए) में साफ उल्लेख है कि इस अधिनियम के अन्यत्र निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन हो तो भी इन्जैक्शन का दावा राजस्व न्यायालय में नहीं आ सकता। चूंकि वादी ने रास्ते में नींव खोदने वो निर्माण करने की धमकी देने बाबत किया है। जो राज0 काश्तकारी अधि0 में दिये गये प्रावधानों के बहार हैं एवं अन्तर्गत धारा 207 राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत एवं तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ठ प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आने के कारण भी प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण न्यायालय श्रीमान के श्रवणयोग्य नहीं है। लिहाजा राजस्व न्यायालय प्रथम दृष्ट्या मौजूदा वाद/प्रा0 पत्र का जब क्षेत्राधिकार वो श्रवणाधिकार ही नहीं रखती हैं एवं वादी का कोई प्रथम दृष्ट्या केस ही नहीं है और ना ही सुविधा का संतुलन बहक प्रार्थी/वादी हैं, एव ना ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती हैं, तो न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं हैं एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी काबिल खारिज है।

विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि है हाल आराजी ख0 सं0 98/550 रकबा 0.09 है0 एवं ख0 स0 98 वाके ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है कि जो आगे। वाद में विवादित आराजीयात के नाम से संबोधित की जावेगी वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी हाल संवत 2069–72 एवं नकल नक्शा ट्रैस ग्राम ईकरोटिया लफे दावा हाजा है। हाल आराजी ख0 स0 98/550 रकबा 0.09 है0 मिन वादी व तर0 प्रति0 की सामलाती कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है कि राजस्व रिकार्ड में मिन वादी व तर0 प्रति0 के नाम का अमल दरामद हो रहा है। तथा उक्त आराजी से लगते हुए तरफ पूर्व में डोल में डोल लगते हुए ख0 स0 98 है जो गेर मुमकिन रास्ता है। प्रतिवादीगण जो कि चालाक एवं मुठ मर्द लडाका किस्म के आदमी है जो कानुन कायदे की कतई परवाह नही करते है। कानुन कायदे की परवाह नही करते है एवं जबरन लठ के बल पर मिन वादी व तर0 प्रति0 के ख0 सं0 98/550 से लगते हुए गेर मु0 रास्ता आम में नींव आदि खोद कर निर्माण कार्य करने हेतु एक राय एक मशविरा बना कर दिनांक 05.0.2018 को आये और मिन वादी व तर0 प्रति0 की आराजी से लगती हुई डोल रास्त आम मे नींव खोदना चालु कर दिया। हमारे द्वारा मना करने पर अमादा फिसाद हुये। रोला सुन कर आस पास से काफी आदमी आ गये जिस पर बमुश्किल वाका टला इसके बाद भी असल प्रतिवादीगण जाते जाते ऐलानिया तोर पर धमकी देकर गये कि हम रास्ता आम में नींव खोद कर निर्माण कर तुम्हारे खेत में आवागमन का रास्ता को बन्द करेंगे, मिन वादी व तर0 प्रति0 की आराजी में आवागमन हेतु मात्र यही एक रास्ता आम है इसके अलावा अन्य कोई रास्त

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

नही है। यदि असल प्रति0 अपने बेजा मन्सूबो में कामयाब हो गये तो मिन वादी व तर0 प्रति0 को अपूर्तिनिय क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन बहक वादी व तर0 प्रति0 ही है इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादी व तर0 प्रति0 असल प्रतिवादीगन को जरिये हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। वादी के दो विवादित खसरा नम्बर, वादी की खातेदारी ओर इस से लगता ख0 न0 98 जो कि सिवायचक गैर मुममकिन रास्ता है। वाद पत्र जो इस न्यायालय में विचाराधीन है वो धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है। ख0 न0 98 व 98/550 के मध्य जो डोल सीव है उसे मिसमार ना करे। यदि अप्रार्थीगण द्वारा सींव डोल को मिसमार किया तो मिन प्रार्थी को अजहद हानी होगी। प्रार्थी को केस इस बिन्दु से प्राईमाफेसाई साबित होता है। जब प्रार्थी के हक में प्राइमाफेसाई साबित है तो अन्य दो बिन्दु सुविधा का सन्तुलन व ना पूर्ति होने वाली क्षति की संभावना भी प्रार्थी के हक में साबित है।

विद्वांन अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि अर्जी प्रार्थना पत्र का जिमन नं0–3 में दर्ज आराजी खसरा नंबर 98/550 रकबा 0.09 है0 एवं खसरा नम्बर 98 जहॉ तक ग्राम ईकरोटिया तहसील कोटकासिम में स्थित होने का प्रश्न हैं, ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो सकता है। किन्तु मौके पर ऐसी कोई स्थिति उक्त खसरा नंबरान की नहीं है। नक्शा ट्रेस वो जमाबन्दी में खिलाफ मौका वो खिलाफ कानून कोई इन्द्राज हो तो भी वादी को कोई राईट टू श्यू नहीं है। वादी ने बिना वजह विवादित आराजी होना दर्ज किया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 98/550 वादी वो तर0 प्रतिवादी का राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज हो। जहॉ तक रास्ता आम वो खसरा नंबर 98/550 का प्रश्न हैं, दोनों के दरमियांन आबादी भूमि में प्रतिवादी नंबर 1 व दो की कदीमी जायदाद पक्के रिहायशी बने हुवे है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 व 2 अपने परिवार सहित काफी लम्बे अर्से/सैकडों वर्ष पूर्व मकान बनाकर रिहायश किये है। जो रिहायश पीढी दर पीढी बरकरार है। वादी ने खसरा नंबर 98/550 की पूर्वी डोल से लगता हुवा रास्ता गलत दर्ज जायदाद मकानात रिहायशी प्रतिवादीगण मौजूद है। ख0 नं0 98/550 के तरफ पूर्व को कोई रास्ता का वजूद नहीं हैं, बल्कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 की रिहायशी जायदाद पक्के मकानात सैकडों वर्ष पूर्व से आबादी में बने हुवे है। उक्त मकानात के तरफ पूर्व को रास्ता सड़क आम जो बीबीरानी से जौडिया को एवं गांव ईकरोटिया के अन्दर जाता है, मौजूद हैं। वादी की रिहायशी जायदाद का मौके का नक्शा कशीदशुदा जवाब दावा के साथ प्रस्तुत है। दरअसल हाल ही में बीबीरानी से जौडिया को जाने वाली सड़क आम रास्ता, जिसे गौरवपथ के नाम से पुनः सी.सी. रोड के रूप में निर्मित किया गया जो करीब 40 फुट चौडा है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने अपनी रिहायशी जायदाद में से पुरानी सड़क से लगता हुवा करीब 12 फुट भूमि देकर अथवा छोडकर गौरपथ सी0सी0 रोड का निर्माण कराया, जो निर्माण पी0डब्लू0डी0 कोटकासिम संस्था द्वारा प्रधान मंत्री गौरपथ योजना के तहत मेजरमैन्ट बनाकर ठेकेदार के माध्यम से सन् 2018 में निर्माण कराया गया, जो रास्ता आज भी उसी स्थिति में मौजूद है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के रिहायशी मकानात जायदाद को सैकडो वर्षो पूर्व से निर्मितशुदा आबादी में है। जिसके सम्बन्ध में कभी कोई उज्र तथाकथित वादी ने उठाया। इतना ही नहीं अपितु जब गौरपथ का निर्माण किया गया , तब भी ऐसा कोई उज्र वादी द्वारा नहीं उठाया गया। अब चूंकि वादी के दिल वो दिमाग में प्रतिवादी सं0 1 व 2 की जायदाद को लेकर बद्धयान्ति आ गई एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को अल्पसंख्यक समझकर एवं वादी जो बहुसंख्यक हैं, के द्वारा मनघडन्त, बनावटी, मिथ्या वो गलत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो वाद भी गैर मुमकिन रास्ता की बाबत का वो पाबन्द कराने का किया है। जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और ना ही न्यायालय श्रीमान के श्रवणयोग्य है एवं विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी सूरत में मौजूदा स्वरूप में प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण हरसूरत में काबिल खारिज है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में प्राइमाफेसाई,

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

सुविधा का संतुलन व ना पूर्ति होने वाली क्षति साबित करने में असफल रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई रिकॉर्ड व दस्तावेज पेश नही किया जिससे खसरा न0 98 रिकार्डेड गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज हो। प्रार्थी ने अपने अनुतोष में ख0 न0 98 के सुखाधिकार आवागमन का कथन किया है, सुखाधिकार के आधार अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। न ही प्रार्थी ने यह साबित किया है कि ख0 न0 98 में कोई चालू रास्ता है जो कि एक मात्र रास्ता उसकी आराजी में जाने हेतु है। प्रार्थी को अप्रार्थी की तरफ से उनकी आराजी में दखलन्दाजी, अतिचार का कोई भय धमकी या आसन्न संकट है, ये बिन्दु साबित करने में भी प्रार्थी असफल रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित ना होने पर खारिज किया जाता है। दिनांक 06.04.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को मेरे द्वारा टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner